समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला पंचायत कार्यालय)

-आदेश-

सचिव, पंचायती राज पदाधिकारी, बिहार, पटना का ज्ञापांक-6846 दिनांक-25.10.2016 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत गली-नाली पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सोलिंग, पेमर ब्लॉक एवं पीसीसी गली निर्माण की छोटी-छोटी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाना है।

जिला स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति गठित की गई है। इस समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार होगें :-

1. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा - अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त, मधेपुरा - सदस्य
3. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा - सदस्य
4. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा - सदस्य
5. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा - सदस्य
6. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मधेपुरा - सदस्य
7. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मधेपुरा - सदस्य
8. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा - सदस्य
9. जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, मधेपुरा - सदस्य

इन समिति का दायित्व निम्न प्रकार होगें :-

1. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के सिद्धांतों के बारे में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा आम नागरिकों को जागरूक करना।
2. समस्त हितग्राहियों की क्षमता के विकास के लिए प्रशिक्षण देना।
3. योजना के चयन हेतु प्रखंड/ पंचायतवार समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना तथा अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों का वार्षिक एवं Perspective विकास योजना तैयार करना।
4. जिला स्तर पर निजी तौर पर कार्य करने के इच्छुक अभियंताओं (कम-से-कम डिप्लोमाधारी) को सूचीबद्ध करना एवं सूची ग्राम पचांयतों के साथ साझा करना।
5. मानक प्राक्कलनों को ग्राम पंचायत/ सहायक अभियंता तथा तकनीकी सहायकों के साथ साझा करना, तकनीकी सहायकों का क्षमता विकास।
6. ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य विभागों की संबंधित योजनाओं यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना आदि के साथ समन्वय/ समेकन करना।
7. इस योजना को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस, तरल, अपशिष्ट प्रबंधन(SLWM) आदि के तहत उपयुक्त योजनाओं का चयन।
8. ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाओं का अनुश्रवण करना।

इसके अतिरिक्त जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में एक सहयोगी कोषांग(Support Cell) का गठन करना सुनिश्चित करेंगे, जो जिला स्तर पर संसाधन केन्द्र के रूप में योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। सहयोगी कोषांग ग्राम पंचायत को सुचारू वित्तीय प्रबंधन, कार्यों की प्रगति रिपोर्टिंग एवं तकनीकी कार्य क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए लेखापाल-सह-आई0टी0 सहायक(प्रति चार पंचायत पर एक की दर से) और तकनीकी सहायक (निजी तौर पर कार्य करने के इच्छुक अभियंताओं, जिनकी न्यूनतम अर्हता/ योग्यता-डिप्लोमा धारक होगी) का पैनल तैयार करेगा तथा ग्राम पंचायतों के साथ सूची साझा करेगा। इस हेतु जिला कार्यालय द्वारा Expression of Interest प्रकाशित कर सूचीबद्ध (Empanel) करने का कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु विभाग स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जायेगी। ग्राम पंचायत/ वार्ड विकास समिति इनमें से किसी तकनीकी सहायक को गली-नाली पक्कीकरण योजनाओं की रूपरेखा बनाने एवं पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकेगी। इस संबंध में उपलब्ध कर्मियों की सेवा गठित सहयोगी कोषांग(Support Cell) में आवश्यकतानुसार ली जायेगी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन हेतु गठित 'प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई' के सहयोग से विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। इस समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार होगा :-

1. संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी- अध्यक्ष
2. संबंधित प्रखंड के सहायक अभियंता/ कनीय अभियंता, मनरेगा- तकनीकी सदस्य
3. संबंधित प्रखंड के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी-Faciliatator

इसके अतिरिक्त योजना को क्रियानिवत कराने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्तर पर एक कार्यपालक सहायक को जोड़ा जायेगा जो योजना संबंधित आंकड़ों, रिपोर्ट, लेखा-विवरण आदि की प्रखंड स्तर पर समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे।

योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत स्तरीय संरचना के तहत मुखिया के नेतृत्व में ग्राम पंचायत की भुमिका महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में 07(सात) सदस्यीय वार्ड विकास समिति का गठन वार्ड सभा के माध्यम से दो वर्षो के लिये किया जाना हैं। संबंधित वार्ड के पंच 'वार्ड विकास समिति' के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा 'वार्ड विकास समिति' में संबधित वार्ड के निवासियों में से पॉच व्यक्तियों को सदस्य के रूप चयनित किया जाना है। वार्ड में यदि जीविका के ग्राम संगठन/स्वय सहायता समूह कार्यरत हो तो इसके एक प्रतिनिधि को भी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाना है। इन पांच सदस्यों का चयन वार्ड सभा करेगी। अगर संबधित वार्ड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार निवास करते है, तो 'वार्ड विकास समिति' के सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार से अनिवार्य रूप से चयनित किया जाना है। समिति में कम से कम तीन महिला सदस्य होगी एवं समिति में वार्ड सभा द्वारा एक परिवार में से एक से अधिक सदस्य चयनित नहीं किये जायेंगे। वार्ड विकास समिति चयनित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सचिव के रूप में चयनित करेगी जो सदस्य सचिव सामान्यतः 10वीं कक्षा पास सदस्य को

बनाया जायेगा ताकि समिति के खर्च का लेखा-जोखा एवं अभिलेख संधारण में सहुलियत हो। अध्यक्ष/ सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से वार्ड विकास समिति योजना की राशि का राष्ट्रीयकृत स्थानीय बैंक में संयुक्त खाता खोलेंगे जिसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना उप विकास आयुक्त, मधेपुरा एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध करावेंगे। खाता का संचालन वार्ड विकास समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जायेगा

वार्ड सभा से अनुमोदित योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित कर ग्राम सभा द्वारा पारित किया जाएगा तथा राशि की उपलब्धता के अनुरूप प्रथम वर्ष 20 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के लिए 30 प्रतिशत, तृतीय वर्ष के लिए 30 प्रतिशत एवं चतुर्थ वर्ष के लिये 20 प्रतिशत वार्डो को योजना के कायान्वयन हेतु चयनित किया जायेगा।

वार्डो के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण सर्वप्रथम वार्डो की अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की संख्या के बहुलता के आधार पर जनसंख्या के धटते क्रमानुसार किया जायेगा। अवशेष वार्ड के चयन की प्राथमिकता का आधार वार्डो की कुल जनसंख्या के धटते क्रमानुसार किया जायेगा। ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाओं की अवधि सामान्यतः 8 माह होगी।

उक्त योजना का कार्यान्वयन प्रखंडवार/पंचायतवार संलग्न **परिशिष्ट-'क'** के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। जिसमें वार्डवार पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाती है। जिसका कार्य सर्वप्रथम 'वार्ड विकास समिति' का निर्धारित समय के अंदर गठन करवाते हुये विभागीय दिशा-निर्देश के कंडिका 6.1 **कार्य पूर्व नियोजन** में निहित निदेश के अनुसार कार्य संपन्न करवाना होगा।

इस कार्य हेतु 'वार्ड विकास समिति' के लिए वार्ड सभा द्वारा पाँच व्यक्तियों को सदस्य के रूप में दिनांक **11/11/2016** तक चयन का कार्य निश्चित रूप से पूर्ण करते हुये नीचे वर्णित कार्य का कार्यान्वयन सचिव, पंचायती राज पदाधिकारी, बिहार, पटना का ज्ञापांक-6846 दिनांक-25.10.2016 में निहित दिशा-निर्देश के आलोक में सभी कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाये, जो निम्न प्रकार हैः-

क्र0	कार्य का विवरण
01	वार्ड सभा द्वारा योजना का चयन करना
02	वार्ड विकास समिति द्वारा वार्ड सभा द्वारा पारित योजना पर विमर्श कर अभिलेख संधारित करना
03	वार्ड विकास समिति द्वारा अभिलेख संधारण कर मनरेगा के सहायक अभियंता/ कनीय अभियंता से तकनिकी स्वीकृति प्राप्त करना
04	तकनिकी पदाधिकारियों द्वारा तकनिकी स्वीकृति के साथ प्राक्कलन प्रस्तुत करना
05	वार्ड विकास समिति के द्वारा योजना अभिलेख को ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु भेजा जाना
06	ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र में स्वीकृत्यादेश देना
07	कार्यादेश की तिथि निर्धारित करना
08	कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य समाप्त करने की संभावित तिथि निर्धारित करना